हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

कार्यसूची

पंचम सत्र

सोमवार, 18 फरवरी, 2019/29 माघ, 1940(शक्)

11.00 बजे (पूर्वाह्न)

1. **प्रश्नोत्तर:**

   (1) **तारांकित :**

(i) स्थगित (ii) दिन के लिए	पृथक सूचियों में मुद्रित प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उनके उत्तर दिए जाएंगे ।

   (2) **अतारांकित :**

दिन के लिए	पृथक सूची में मुद्रित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे ।

2. **साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य:**

   श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, सोमवार, 18 फरवरी, 2019 से प्रारम्भ हो रहे वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य देंगे ।

3. **कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे :**

   (1) **श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री,** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा 29(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के संकलित वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

   (2) **श्री अनिल शर्मा, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री,** निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगे:-

   (i) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (बिजली की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (पांचवा संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/419 दिनांक 05.09.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.09.2018 को प्रकाशित;

(ii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (विचलन निपटान तंत्र और संबंधित मामले) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/H (1)25/2017 दिनांक 16.10.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.10.2018 को प्रकाशित;

(iii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (छत पर सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम नेट मीटरिंग पर आधारित) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/H(1)-11/2015 दिनांक 06.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.11.2018 को प्रकाशित;

(iv) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (हाइड्रो जेनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्त) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/F(1)-2/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(v) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (ट्रांसमिशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/F(1)-3/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(vi) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (व्हीलिंग टैरिफ और रिटेल सप्लाई टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/F(1)-1/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(vii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (राज्य लोड डिस्पैच सेंटर द्वारा शुल्क और शुल्क का संग्रह) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या:HPERC/F(1)-4/2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.11.2018 को प्रकाशित;

(viii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नवीकरणीय विद्युत खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) (पांचवा संशोधन) नियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/438 दिनांक 27.11.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.11.2018 को प्रकाशित;

(ix) हिमाचल प्रदेश बिजली आपूर्ति कोड (तीसरा संशोधन) विनियम, 2018 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/438-आपूर्ति कोड दिनांक 03.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.12.2018 को प्रकाशित;

(x) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नियम और शर्तों के निर्धारण के लिए व्हीलिंग टैरिफ और खुदरा आपूर्ति शुल्क) विनियम, 2011 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/F(1)-1/2018 दिनांक 29.12.2018 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.01.2019 को प्रकाशित;

(xi) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (व्यवसाय का संचालन) (नौवां संशोधन) विनियमन, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या: HPERC/Secy/151 दिनांक 04.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 07.01.2019 को प्रकाशित; और

(xii) हिमाचल प्रदेश नियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से पीढ़ी का संवर्धन और शुल्क निर्धारण के लिए नियम और शर्त) (दूसरा संशोधन) विनियमन, 2019 जोकि अधिसूचना संख्या: एचपीईआरसी/428 दिनांक 28.01.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित ।

((i) से (xii) तक विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 182 के परन्तुक के अन्तर्गत निर्मित नियम हैं)

(3) **डॉ0 राम लाल मारकण्डा, कृषि मन्त्री,** नियंत्रक महालेखापरीक्षक (डी0पी0सी0) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य इलैक्ट्रोनिक्स विकास निगम सीमित का 34वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2017-18 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

(4) **श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मन्त्री,** भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार के नियमन एवं शर्तें) अधिनियम, 1996 की धारा 27(5) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का 6वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन :

(1) **श्रीमती आशा कुमारी, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगी तथा सदन के पटल पर रखेंगी :-

(i) समिति के **144वें मूल प्रतिवेदन** (दशम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 247वां कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **71वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 353वां कार्रवाई प्रतिवेदन (नवम् विधान सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित है ।

(2) **श्री नरेन्द्र ठाकुर, सभापति,अधीनस्थ विधायन समिति (वर्ष 2018-19),** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे :-

(i) समिति का **तृतीय प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सत्रों के दौरान सांविधिक संगठनों, सरकारी कम्पनियों व अन्य स्वायतशासी संगठनों द्वारा सभा पटल पर उपस्थापित वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की संवीक्षा से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति का **चतुर्थ प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि तेरहवीं विधान सभा के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सत्रों के दौरान उपस्थापित किए गए नियमों/परिनियमों की समिति द्वारा संवीक्षा से सम्बन्धित है।

5. सांविधिक ईकाई हेतु मनोनयन :

श्री सुरेश भारद्वाज, शिक्षा मन्त्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि:-

"हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम, 1968 की धारा 4 (1) की उपधारा II (एच) के प्रावधान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विधान सभा के तीन सदस्यों को हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि के लिए जिस दिन से अधिसूचना जारी हो तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत मनोनीत करने के लिए यह सदन माननीय अध्यक्ष महोदय को प्राधिकृत करता है ।"

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख :

(1) **श्री सुरेश कुमार कश्यप (55-पच्छाद),** पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत चन्दोल-धामला-मानवा सड़क की जनहित में मैटलिंग व टारिंग शीघ्रातिशीघ्र करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(2) **श्री जवाहर ठाकुर (30-दरंग),** नेरचौक से पण्डोह के मध्य स्थित मुहाल शिल्हा किपड़ी की भूमि का फोरलेन सड़क हेतु शीघ्रातिशीघ्र अधिग्रहण करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(3) **श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (39-बड़सर),** बड़सर महाविद्यालय में क्रय की गई सामग्री हेतु जनहित में कमेटी का शीघ्रातिशीघ्र गठन करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे।

(4) **श्री सुरेश कुमार कश्यप (55-पच्छाद),** पच्छाद निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धामला में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पड़े पदों की जनहित में पदपूर्ति करने तथा रोगी वाहन की सुविधा शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध करवाने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(5) **श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (40-नदौन),** नदौन निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत गांव गाहलियां, तहसील गलोड़ के पंचायत भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि को जनहित में जारी करने तथा इसके निर्माण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

(6) **श्री पवन नैय्यर (3-चम्बा),** हिमाचल प्रदेश वन निगम, शिमला के अन्तर्गत चम्बा मण्डल में लॉट संख्या 11/2018-2020 हेतु आमंत्रित की गई निविदा की अद्यतन स्थिति बारे विशेष उल्लेख करेंगे ।

7. <u>वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमान:-</u>

वर्ष 2019-20 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदान।

(अनुदान मांगें पृथक सूची में मुद्रित हैं)

(पृथक सूचियों में कटौती प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए जाएंगे)

8. <u>विधायी कार्य :</u>

(I) <u>सरकारी विधेयक की पुर:स्थापना</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3)	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

वे विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

(II) <u>सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण</u>

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री, प्रस्ताव करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2019 (2019 का विधेयक संख्यांक 3)	हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय धनराशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाए ।

शिमला-171 004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांक: 16 फरवरी, 2019 **सचिव ।**

***

(अनुपूरक कार्यसूची, यदि कोई हो, की भी जांच कर लें)

सूची सं0-1

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 7- पुलिस और सम्बद्ध संगठन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"पुलिस और सम्बद्ध संगठन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	7

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री राम लाल ठाकुर,
3. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
4. श्री अनिरूद्ध सिंह,
5. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की वर्तमान कानून व्यवस्था की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की वर्तमान अग्नि से संरक्षण तथा नियन्त्रण नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-2

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 8- शिक्षा

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	नीति का अननुमोदन	8

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"शिक्षा"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्रीमती आशा कुमारी,**
2. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
3. **श्री हर्षवर्धन चौहान,**
4. **श्री नन्द लाल,**
5. **श्री जगत सिंह नेगी,**
6. **श्री राम लाल ठाकुर,**
7. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
8. **श्री राकेश सिंघा ।**

1. सरकार की वर्तमान शिक्षा नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार के शिक्षा संस्थानों के भवनों का रख-रखाव एवं निर्माण की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के स्थानान्तरण की नीति का अननुमोदन ।
4. सरकार की निजी शिक्षण संस्थानों में फीस वृद्धि व खेल मैदान की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा ।

*****

सूची सं0-3

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 9 -स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	9

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
3. श्री जगत सिंह नेगी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री अनिरूद्ध सिंह,
6. श्री राकेश सिंघा,
7. श्री आशीष बुटेल,
8. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर ।

1. सरकार की वर्तमान स्वास्थ्य नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में भर्ती नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों में उपकरणों/दवाईयों की क्रय नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की स्वास्थ्य संस्थानों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा ।

*****

सूची सं0-5

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 11- कृषि

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या
	1. नीति का अननुमोदन	11
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"कृषि"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री राम लाल ठाकुर,
3. श्री राजेन्द्र राणा,
4. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
5. श्री अनिरूद्ध सिंह,
6. श्री राकेश सिंघा ।

1. किसानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की नई सब्जी मण्डियों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कृषि उत्पादन बढ़ाने की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं की नीति का अननुमोदन।
5. कृषि विश्वविद्यालय को सुदृढ़ करने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

*****

सूची सं0-6

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 12 - उद्यान

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	12

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग

"उद्यान"

की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
2. श्री अनिरूद्ध सिंह,
3. श्री जगत सिंह नेगी,
4. श्री हर्षवर्धन चौहान,
5. श्री मोहन लाल ब्राक्टा,
6. श्री राकेश सिंघा,
7. श्री राजेन्द्र राणा ।

1. बागवानों के सुदृढ़ीकरण की नीति का अननुमोदन ।
2. सरकार की अच्छे किस्म के रूट स्टॉक का आयात करने तथा पौध संरक्षण एवं औज़ार क्रय करने की नीति का अननुमोदन ।
3. सरकार की फल विधायन केन्द्र हेतु कच्चे माल की खरीद की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की डा0 वाई0एस0 परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय को सुदृढ़ीकरण करने की नीति का अननुमोदन ।

शिमला-171004. सचिव,

दिनांक 14.02.2019 विधान सभा।

****

सूची सं0-7

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 13 - सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	13

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग
"सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई"
की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. **श्री मुकेश अग्निहोत्री,**
2. **श्री हर्षवर्धन चौहान,**
3. **श्री जगत सिंह नेगी,**
4. **श्री अनिरूद्ध सिंह,**
5. **श्री आशीष बुटेल ।**

1. सरकार की वर्तमान सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की कूहलों, नलकूपों एवं हैंडपम्पों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की बाढ़ नियन्त्रण, जल निकासी की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. — **सचिव,**
दिनांक 14.02.2019 — **विधान सभा।**

****

सूची सं0-8

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(कटौती प्रस्ताव)
बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 15 - योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	15
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्रीमती आशा कुमारी,
2. श्री आशीष बुटेल ।

1. सरकार की पिछड़ा क्षेत्र हेतु धन आबंटन नीति का अननुमोदन।
2. पिछड़ी पंचायतों को सड़क से जोड़ने हेतु धनराशि उपलब्ध करवाने हेतु नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004. सचिव,
दिनांक 14.02.2019 विधान सभा।

****

सूची सं0-9

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 16- वन और वन्य जीवन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"वन और वन्य जीवन"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	16

1. श्री जगत सिंह नेगी,
2. श्री राम लाल ठाकुर,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री अनिरूद्ध सिंह,
5. श्री लखविन्द्र सिंह राणा ।

1. सरकार की वर्तमान वन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की जंगली जानवरों से किसानों/बागवानों को निज़ात दिलवाने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की पौध रोपण नीति का अननुमोदन।
4. सरकार की भू-जल संरक्षण नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-10

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 18- उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	18
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

श्री अनिरूद्ध सिंह ।

1. सरकार की वर्तमान उद्योग नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की रेशम उत्पादन नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की लघु उद्योग स्थापित करने की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

*****

सूची सं0-11

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 23- विद्युत विकास

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग **"विद्युत विकास"** की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	23

1. **श्री राकेश सिंघा,**
2. **श्री अनिरूद्ध सिंह ।**

1. सरकार की वर्तमान विद्युत विकास नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान में प्रदेश की जल विद्युत तथा सौर ऊर्जा क्षमता के दोहन की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

*****

सूची सं0-12

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें

कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 26 - पर्यटन और नागर विमानन

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	26
	कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "पर्यटन और नागर विमानन" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।	

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर,
5. श्री अनिरूद्ध सिंह,
6. श्री राकेश सिंघा।

1. सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की विमानपत्तन(एयरपोर्ट) के निर्माण व हैली टैक्सी सेवा नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की रज्जु मार्गों के निर्माण की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा।

****

सूची सं0-13

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(स्वीकृत कटौती प्रस्ताव)

बजट अनुमान 2019-20 की अनुदान मांगें
कटौती प्रस्ताव की सूचना

मांग संख्या: 30 - विविध सामान्य सेवाएं

सदस्य का नाम	कटौती प्रस्ताव	मांग संख्या:
	नीति का अननुमोदन	30

कि शीर्ष के अन्तर्गत मांग "विविध सामान्य सेवाएं" की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाए।

1. श्री राम लाल ठाकुर,
2. श्रीमती आशा कुमारी,
3. श्री मुकेश अग्निहोत्री,
4. श्री अनिरूद्ध सिंह,
5. श्री राकेश सिंघा ।

1. सरकार की खेलकूद तथा युवा सेवाओं में खेलों की नीति का अननुमोदन।
2. सरकार की वर्तमान खेल सामग्री क्रय करने की नीति का अननुमोदन।
3. सरकार की भाषा, कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने तथा मन्दिरों के रख-रखाव की नीति का अननुमोदन।

शिमला-171004.
दिनांक 14.02.2019

सचिव,
विधान सभा ।

****